ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4135/2005/भरतपुर रामदयाल बनाम मनोहरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य उपस्थितः– श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी। –– आदेश दिनांकः12–03–19 यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कामां जिला भरतपुर द्वारा प्रकरण सं0 321/2002 उनवानी रामलाल बनाम रामदयाल में पारित किए गए आदेश दिनांक 06–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मनोहरी के हिस्से तक स्वीकार किया। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी मनोहरी तामील कुनिंदा को मौके पर मिला व उसने नोटिस लेने इन्कार किया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–1995 को पारित की, जो कि सही व कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत थी। तामील कुनिंदा के बयान अधीनस्थ न्यायालय में करवाए गए थे, जिसने इस बात की पुष्टि की थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4135/2005/भरतपुर रामदयाल बनाम मनोहरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नजरअंदाज करते हुए अपना आदेश प्रदान किया। उनका तर्क था कि प्रार्थनापत्र मियाद बाहर था तथा मियाद बाबत् कोई समुचित व पर्याप्तत कारण अंकित नहीं किए गए व न ही शपथ पत्र पेश किया गया। उनका तर्क था कि डिक्री सही है या गलत इसे अपील में देखा जा सकता है न कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र कयास के आधार पर अपना आदेश पारित किया है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है, क्योंकि उस पर तामील हुई ही नहीं तथा उक्त आदेश उसे सुने बिना पारित किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-08-2005 उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2001, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किए गए कि वे तामील कुनिंदा के बयान लेकर आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र निस्तारित करें, की पालना	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4135/2005/भरतपुर रामदयाल बनाम मनोहरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में तामील कुनिंदा के बयान लेकर अप्रार्थी मनोहरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 उसके हिस्से तक स्वीकार किया है। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं विधिसम्मत है, क्योंकि मनोहरी पर तामील सम्यक् रूप से नहीं हुई, ऐसी स्थिति में उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-95 की जानकारी नहीं हो सकी तथा उक्त निर्णय व डिक्री उसे सुने बिना पारित की गई। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-08-2005 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें तथा पत्रावली तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मोहन लाल नेहरा) सदस्य	